## कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक /337 /अ.भू.अ./2014 रायगढ़, दिनांक: 26/02/2014

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम
अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर (छ.ग.)

**विषय** :– 765 के.व्ही. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन – II के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन प्रस्ताव के पंजीयन हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे/बडे झाड़ के जंगल) के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

**संदर्भ** :– पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) के पत्र क्रमांक प.छे.सं.प्र./रायगढ़/765के.व्ही./विद्युत्/वन/9992, दिनांक 16.08.13।

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा तहसील धरमजयगढ, खरसिंया, घरघोड़ा, तमनार एवं लैलुंगा के निम्न् तालिका अनुसार ग्रामों के राजस्व वन भूमि (छोटे/बडे झाड़ के जंगल) पर 765 के.व्ही. D/C झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) तक विद्युत संचरण लाईन – II के निर्माण हेतु गैर वानिकी प्रयोजन के लिये राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है जो निम्नानुसार हैः–

| क्र | अनुविभाग | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | कुल रकबा (हे.में) | प्रभावित रकबा (हे.में) | भूमि का मद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | धरमजयगढ़ | धरमजयगढ़ | औरानारा | 8/1 क | 17.066 | 0.536 | बड़े झाड़ का जंगल |
| | | | लामीखार | 46/2क | 64.976 | 5.092 | बड़े झाड़ का जंगल |
| | | | | 56/2क | 60.463 | 2.412 | बड़े झाड़ का जंगल |
| | | | | 214/2क | 8.126 | 1.474 | बड़े झाड़ का जंगल |
| 2. | खरसिंया | खरसिंया | कुर्रु | 23/1 | 20.860 | 3.082 | छोटे झाड़ का जंगल |
| 3. | घरघोड़ा | घरघोड़ा | छोटेगुमड़ा | 158 | 11.582 | 0.536 | बड़े झाड़ का जंगल |
| | | | | 307 | 3.740 | 0.536 | छोटे झाड़ का जंगल |
| | | | कंचनपुर | 659/2 | 4.047 | 1.206 | बड़े झाड़ का जंगल |
| | | तमनार | बनाई | 750/1 | 5.504 | 1.393 | छोटे झाड़ का जंगल |
| | | | चिर्रामुड़ा | 69 | 0.636 | 0.134 | छोटे झाड़ का जंगल |
| | | | सक्ता | 16/1 | 1.396 | 0.804 | छोटे झाड़ का जंगल |
| | | | | 10/1 | 3.581 | 1.065 | छोटे झाड़ का जंगल |
| | | | हिन्झर | 259/1क | 6.953 | 1.876 | बड़े झाड़ का जंगल |
| | | लैलुंगा | हरदीझरिया | 156 | 1.180 | 1.072 | छोटे झाड़ का जंगल |
| कुल | | | 11 | 14 | 210.110 | 21.218 | |

उपरोक्त आवेदित भूमि के संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से जांच कराई गई। तहसीलदार धरमजयगढ़ के जांच प्रतिवेदन दि. 24.12.2013, तहसीलदार लैलुंगा के जांच प्रतिवेदन दि. 23.01.2014, तहसीलदार घरघोड़ा के जांच प्रतिवेदन दि. 24.12.2013, तहसीलदार तमनार के जांच प्रतिवेदन दि. 17.12.2013, एवं तहसीलदार खरसिंया के जांच प्रतिवेदन दि. 10.01.2014 जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा तहसीलदारों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा.) के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुशंसानुसार आवेदक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उपरोक्त आवेदित 10 ग्रामों के कुल ख. नं. 14 आवेदित रकबा 21.218 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे/बडे झाड़ के जंगल) को 765 के.व्ही. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन–II के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् नियमानुसार गैरवानिकी प्रयोजन/व्यपवर्तन हेतु उच्च कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त अनापत्ति देने का तात्पर्य यह कदापि नही माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक 3371/ अ.भू.अ./2014 रायगढ़, दिनांक 26/02/2014

प्रतिलिपि :–

अपर महाप्रबंधक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
11th Km Milestone, Nandeli Road,PO & Village-Kotra,Dist: Raigarh-496001 Phone - 07762-324036, Fax 263571
e-mail: pgcilkotra@gmail.com

संदर्भ: प.क्षे.सं.प्र.1 / रायगढ़ / विद्युत दिनांक: 29.01.15

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

विषय : 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन – II के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन प्रस्ताव के पंजीयन हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे /बड़े झाड़ के जंगल) के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

संदर्भ 01. आपका पत्र क / 337A / अ.भू.अ / 2014 रायगढ़ दिनांक / 26.02.2014
02. NTPC घरघोड़ा के साथ पत्राचार, दिनांक 17.09.2014.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा भारत सरकार के अग्रिम अनुमोदन के तहत् रायगढ़ एवं झारसुगुड़ा क्षेत्र में आने वाले आई.पी.पी उत्पादन परियोजनाओ के लिये एकीकृत एवं प्रभावकारी विद्युत पारेषण प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 68 के अन्तर्गत 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन – II का निर्माण किया जा रहा है।

उपरोक्त विद्युत लाइन रायगढ़ जिले के खरसिंया, धरमजयगढ़ एवं घरघोड़ा अनुविभाग के कमशः खरसिंया, धरमजयगढ़, घरघोड़ा तमनार एवं लैलुंगा तहसील से होकर गुजर रही है जिसके मार्ग में आने वाले राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन प्रस्ताव तैयार किया जाना है, जिसके लिये आपके कार्यालय से संदर्भित पत्र कमांक 337A / अ.भू.अ / 2014 रायगढ़ दिनांक / 26.02.2014 द्वारा आपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसका ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :–

## तहसील /ग्रामवार प्रभावित खसरा एवं रकबा का विवरण : जिला रायगढ़

| क | अनुविभाग | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | मद | कुल रकबा (हे.में) | प्रभावित रकबा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | धरमजयगढ़ | धरमजयगढ़ | औरानारा | 8 / 1 क | बड़े झाड़ का जंगल | 17.066 | 0.536 |
| | | | लमीखार | 46 / 2क | बड़े झाड़ का जंगल | 64.976 | 5.092 |
| | | | | 56 / 2क | बड़े झाड़ का जंगल | 60.463 | 2.412 |
| | | | | 214 / 2क | बड़े झाड़ का जंगल | 8.126 | 1.474 |
| 02. | खरसिंया . | खरसिंया | कुर्रु | 23 / 1 | छोटे झाड़ का जंगल | 20.860 | 3.082 |
| 03. | घरघोड़ा | घरघोड़ा | छोटेगुमड़ा | 158 | बड़े झाड़ का जंगल | 11.582 | 0.536 |
| | | | | 307 | छोटे झाड़ का जंगल | 3.740 | 0.536 |
| | | | कंचनपुर | 659 / 2 | बड़े झाड़ का जंगल | 4.047 | 1.206 |
| | | तमनार | बनाई | 750 / 1 | छोटे झाड़ का जंगल | 5.504 | 1.393 |
| | | | चिर्रामुणा | 69 | छोटे झाड़ का जंगल | 0.636 | 0.134 |
| | | | सकता | 16 / 1 | छोटे झाड़ का जंगल | 1.396 | 0.804 |
| | | | | 10 / 1 | छोटे झाड़ का जंगल | 3.581 | 1.065 |
| | | | हिन्झर | 259 / 1क | बड़े झाड़ का जंगल | 6.953 | 1.876 |
| | | लैलुंगा | हर्दीझरिया | 156 | बड़े झाड़ का जंगल | 1.180 | 1.072 |
| कुल | | | 10 | 14 | | 210.110 | 21.218 |

संदर्भ क्रमांक 02 के अनुसार NTPC Ltd. घरघोड़ा ने अवगत कराया कि Ministry of Coal नई दिल्ली के पत्र क्र. 13016/26/2004-CA-I (Pt.) दिनांक 25.07.2013 द्वारा तमनार तहसील के अंतर्गत बनाई एवं भालूमुड़ा कोल ब्लाक का आवंटन NTPC Ltd. का किया जा चुका है। अतः Ministry of Coal के दिशा निर्देशानुसार विद्युत लाईन के मार्ग मे घरघोड़ा एवं तमनार तहसील के अंतर्गत आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके कारण निम्नलिखित ग्रामो में आवेदित राजस्व वन भूमि परिवर्तित मार्ग में प्रभावित नही हो रही है:-

| क्र | अनुविभाग | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | मद | कुल रकबा (हे.में) | प्रभावित रकबा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | घरघोड़ा | तमनार | बनाई | 750/1 | छोटे झाड़ का जंगल | 5.504 | 1.393 |
| | | | चिर्रामुणा | 69 | छोटे झाड़ का जंगल | 0.636 | 0.134 |
| | | | सकता | 10/1 | छोटे झाड़ का जंगल | 3.581 | 1.065 |
| | | | हिन्झार | 259/1क | बड़े झाड़ का जंगल | 6.953 | 1.876 |
| कुल | | | 04 | 04 | | 16.674 | 04.468 |

उपरोक्तानुसार जानकारी महोदय के सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

धन्यवाद !

भवदीय
(हस्ताक्षर)
अपर महाप्रबंधक
पावरग्रिड, रायगढ़

प्रतिलिपिः अ.प्र.मु.वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की ओर सादर सूचनार्थ।